

ज्ञापांक ७१४ / ४४७७२२ / विधि शाखा

एल0सी0-17-2019 पार्ट-01

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक— २०/११/१९

सेवा में,

सभी वरीय पुलिय अधीक्षक / सभी पुलिस अधीक्षक, रेल सहित,  
बिहार।

विषय :—  
गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना का पत्रांक—गृदी०/९८२७, दिनांक—१९.११.२०१९  
तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अग्रिम जमानत एवं नियमित जमानत से  
संबंधित आवेदनों पर सुनवाई के समय संबंधित थानाध्यक्षों को माननीय उच्च न्यायालय  
में उपस्थित होने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री एस०डी० यादव, अपर महाधिवक्ता सं०-०९,  
पटना उच्च न्यायालय द्वारा सूचित किया गया है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय के  
आदेशानुसार दिनांक—२०.११.२०१९ से नियमित जमानत एवं अग्रिम जमानत से संबंधित याचिकाओं पर  
सुनवाई के समय संबंधित थानाध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना है।

अतः उपरोक्त पत्र के आलोक में अपने क्षेत्राधिकार के सभी थानाध्यक्षों को थाना से  
संबंधित भासले में नियमित जमानत एवं अग्रिम जमानत की सुनवाई के समय वाद के अभिलेखों के साथ  
माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थित रहना सुनिश्चित करायें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु०—यथोक्त ।

*May*  
२०११।।।९  
पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन),  
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि:—

1. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना / निगरानी विभाग,  
बिहार, पटना / आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित (पत्र की छाया प्रति संलग्न)।
2. पुलिस महानिरीक्षक, पटना क्षेत्र, पटना / मुजफ्फरपुर क्षेत्र, मुजफ्फरपुर / मगध क्षेत्र<sup>गया</sup> / मिथिला क्षेत्र, दरभंगा / पूर्णियाँ क्षेत्र, पूर्णियाँ को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित (पत्र की छाया प्रति संलग्न)।
3. पुलिस उप—महानिरीक्षक, शाहाबाद क्षेत्र, डिहरी—ऑन—सोन / बेगुसराय क्षेत्र, बेगुसराय  
/ चम्पारण क्षेत्र, बेतिया / सारण क्षेत्र, छपरा / कोशी क्षेत्र, सहरसा / पूर्वी क्षेत्र,  
भागलपुर / मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित (पत्र  
की छाया प्रति संलग्न)।
4. आई०टी० मैनेजर, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ  
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित (पत्र की छाया प्रति संलग्न)।

*May*  
२०११।।।९  
पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन),  
बिहार, पटना।

पत्र संख्या-3/न्या०-८०-०१/२०१९ गृ०वि० १८२७/

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

सरदार पटेल भवन,

ब्लॉक-A

ईश्वर चन्द्र सिन्हा, भा०प्र०स००,  
सरकार के अपर सचिव

पुलिस महानिदेशक,  
बिहार, पटना

पटना, दिनांक १९.११.१९

विषय :-

उच्च न्यायालय, पटना में अग्रिम जमानत एवं नियमित जमानत से संबंधित आवेदनों पर सुनवाई के समय संबंधित थानाध्यक्षों को न्यायालय में उपस्थिति होने के संबंध में।

प्रसंग :-

अपर महाधिवक्ता सं०-०९, उच्च न्यायालय, पटना का पत्रांक-  
10536 / पटना दिनांक-18.11.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अपर महाधिवक्ता सं०-०९, उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सूचित किया गया है कि मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना के आदेशानुसार अग्रिम जमानत एवं नियमित जमानत से संबंधित आवेदनों पर सुनवाई के समय संबंधित थानाध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहना है। मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-20.11.2019 से नियमित जमानत एवं अग्रिम जमानत के आवेदनों पर सुनवाई की जाएगी।

प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यथाशीघ्र निर्देशित करने की कृपा की जाए।  
अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

१९.११.२०१९  
(ईश्वर चन्द्र सिन्हा)  
सरकार के अपर सचिव

**URGENT**

19 NOV 2019  
Letter No. 10536 / Patna

**FAX**

Dated 18/11/2019

243

*SC PWD*  
**From:**

Office of the Advocate General, Bihar  
High Court, Patna

**To,**

**S. D. Yadav**  
Addl. Advocate General No. 09  
Patna High Court, Patna

1. The Home Secretary, Govt. of Bihar, Patna.
2. The DGP-cum-Inspector General of Police, Govt. of Bihar, Patna.

*DIN(X)*  
**Sub: Regarding hearing of the bail application Anticipatory bail and regular bail by the Hon'ble Chief Justice**

*19/11/19*  
**Sir,**

In the aforesaid regard it is being informed to you that the oral direction has been given by the Hon'ble Chief Justice that at the time of hearing the bail application ~~that~~, the Officer in charge of the concerned Police Station relating to the case shall remain physically present before this Hon'ble court at the time of hearing of the bail application, arising out of case relating to the concerned police station.

*L-C*  
*T*  
*19/11/19*  
Hence, you are hereby informed that <sup>K-indly</sup> steps be taken in the aforesaid regard as orally ordered as indicated by the Hon'ble Chief Justice. It is also to be noted here that again the hearing of anticipatory bail and regular bail application shall be taken by the Hon'ble Chief Justice on 20.11.2019.

*18/11/2019*  
**S. D. Yadav**

**Addl. Advocate General No. 09**

*340133/19*  
*DBIP*

*4017(H.Q.)*